[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, तारीख 22 सितंबर, 2020

सा. का. नि... (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 67/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 21 सितंबर, 2020, जिसे सा. का. नि 572 (अ), 21 सितंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 3 में, पंक्ति 11 में, अंक "(ii)" का लोप किया जायेगा;
- पृष्ठ 3 में, पंक्ति 12 में, "मार्च, 2020" के स्थान पर "मार्च, 2019" पढे।

IndiaCode

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार